न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 11/2022

अनवान : —

1. भागीरथ पुत्र ताराचंद जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
2. चम्पादेवी पत्नी महेन्द्रपाल जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।

:—प्रार्थीगण

बनाम्

1. प्रतापसिंह पुत्र घडसीराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
2. हरीसिंह पुत्र घडसीराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
3. तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

:—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए</u>
<u>आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए</u>

उपस्थिति :—राजेन्द्र गोयल प्रार्थीगण
श्री अदरीश अली अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u> दिनांक:- 13/06/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 एमएसआर के खाता सं0 63/18 के प0 न0 0 के मु0 न0 40 के किला न0 6/1 की 0.228है0, किला न0 6/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 7 ता 10 की 1.012है0, किला न0 12, 19 प्रत्येक की 0.253है0, कुल 1.7710है0 जिसमें नहरी 1.746है, 0.025है0 गै0 मु0 खाला खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु आवागमन करने के लिए इसी चक 6 एमएसआर के मु0 न0 28 के किला न0 1/2 में 0.013है0 गै0 मु0 रास्ता स्वीकृत है। इसी रास्ता से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन करते आ रहे है। उक्त किला अप्रार्थी हरीसिंह की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें से 0.013है0 रास्ता स्वीकृत है।

अप्रार्थी हरीसिंह के पूर्व में मु0 न0 27 के किला न0 4 ता 7 की कुल 1.012है0, किला न0 14 ता 17 की कुल 1.012है0, किला न0 24, 25 की कुल 0.506है0 कुल 2.530है0 अप्रार्थी प्रतापसिंह की खातेदारी कृषि भूमि है। जबकि चक 6 एमएसआर में मु0 न0 28 में 3.225है0 अप्रार्थी हरीसिंह की खातेदारी है जिसमें किला न0 1 ता 5 शामिल है।

प्रार्थीगण का खेत अप्रार्थीगण के खेत से दक्षि[illegible] म [illegible]ता है। प्रार्थीगण पश्चिम से पूर्व होकर दक्षिण में स्थित अपनी खातेदा[illegible] है तथा उसी रास्ता से होकर काश्त हेतू व फसल लाने ले जा[illegible] ट्राली, उंट गाडा [illegible] साधन लेता जाता रहता है। अप्रार्थी हरीसिंह ने जानबूझकर [illegible] न0 28 के किल[illegible] 1 में स्वीकृतशुदा रास्ता के चिपते ही अपनी माता की समाधी बना रखी है। जबकि समाधी वाली जगह पर हरीसिंह की माता का कोई दाह संस्कार नहीं हुआ था। हरीसिंह ने जानबूझकर प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने व ट्रैक्टर, ट्राली, उंट गाडा आदि को मोडने में दिक्कत पैदा करने के लिए रास्ते के चिपते ही चबूतरा बना दिया है। प्रार्थीगण चक 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:39:35 IST
Reason: Self Attested

...सआर के खाता सं0 131/117 के मु0 न0 28 के किला न0 1/1 में से व चक 6 ...सआर के खाता सं0 46/46 के मु0 न0 27 के किला न0 5 में से यानि दोनों किलों में ...0.013है0 रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी की खातेदारी आवागमन के ...व में कारत से वंचित रह जायेगें। इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में जाने के ...र सदामत से ही चालू उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड स्वीकृत करवाने हेतु यह ...र्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन ...लब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 की ओर से जवाब ...श किया गया व अप्रार्थी सं0 3 स्टेट की ओर से रिपोर्ट पेश की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया ...क प्रार्थीगण रास्ते की चौडाई बढाना चाहते है। मु0 न0 28 के किला न0 1, 10, 11 ...त्येक किला में 0.013है0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व उक्त रास्ता किलों के पश्चिमी ...तरफ उत्तर से दक्षिण की तरफ चालू है। प्रार्थीगण मु0 न0 28 के किला न0 1 में 1/2 ...बिस्वा यानि 0.007है0 व मु0 न0 27 के किला न0 5 में 1/2 बिस्वा यानि 0.006है0 इस ...प्रकार कुल 0.013है0 रास्ता मौजूद रास्ते के चिपते दोनों तरफ स्वीकृत करवाना चाहते है। ...व वकील अप्रार्थीगण ने इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जवाब का अवलोकन किया गया। रोही मौजा चक 6 एमएसआर के मु0 न0 28 के किला न0 1 में दर्ज रास्ते को 0.003है0 चौडाई बढाकर व मु0 न0 27 के किला न0 5 में 0.007है0 स्वीकृत किया जावे चूंकि प्रस्तावित रास्ता की भूमि के एवज के बदले रास्ता की भूमि के एवज में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समीति द्वारा सिफारिस की गई कृषि भूमि दर के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि दिलायी जाकर ही उक्त रास्ता स्वीकार योग्य होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि रोही मौजा चक 6 एमएसआर के मु0 न0 28 के किला न0 1 में दर्ज रास्ते को 0.003है0 चौडाई बढाकर व मु0 न0 27 के किला न0 5 में 0.007है0 स्वीकृत कर इस प्रकार कुल 0.010है0 स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व उक्त रास्ता की भूमि के एवज में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समीति द्वारा सिफारिस की गई कृषि भूमि दर के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि दिलायी जाकर ही उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। परन्तु किला न0 1 में अप्रार्थी द्वारा बनाई गई पानी की डिग्गी के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:39:35 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 13/06/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)